वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर के सम्बद्धता सम्बन्धी निर्गत पत्र सख्या– पूविवि/सम्बद्धता/03–(एक)/2015/2126 दिनांक– 17.09.2015 की टंकित प्रति:–

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश सख्या–1103(1)/सत्तर–6–2014–2(97)/2014 दिनाक–01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014–15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में सचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के सचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय सशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है, के क्रम में दिनाक 25 अगस्त, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में **हरिवंशी द्वारिका कालेज ऑफ एजुकेशन, दुर्खशी, मरदह, गाजीपुर** को **स्नातक स्तर** पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2014–15 के परीक्षाफल के अभाव में दिनाक– 01.07.2015 से शैक्षिक सत्र 2015–16 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. शैक्षिक सत्र 2014–15 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एव महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न होने प्राचार्य का अनुमोदन पत्र, ए.आई.एस.एच.ई. के पजीकरण, कक्षा सचालन की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति मे तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानको/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र 2015–16 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनाक– 01.07.2015 से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किये जायेगें।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनाक–02 जुलाई, 2003 मे उल्लिखित सुसगत दिशा-निर्देशों एव इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश सख्या–5267/70–2–2005–2(166)/2002 टी.सी., दिनाक–16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या– 5125/ 70–2–2005–2 (166) 2002, दिनाक–21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संथान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक–20.12.2012 के अनुपालन शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या– 522/सत्तर–2–2013–2 (650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जांच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जांच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जाच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वत: समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या– 12/2015/450/सत्तर–2015–16 (33)/2015, दिनांक 12 जून, 2015 में दिय गये निर्देश के क्रम मे महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगें।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन0बी0सी0 प्रामाण–पत्र, अग्निशमन प्रमाण पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनाक–25.07.2017

आदेश

विश्वविद्यालय के पत्र **संख्या– पूविवि/सम्बद्धता/03–(एक)/2015/2126 दिनांक– 17.09.2015** के **प्रस्तर–1** में दिये गये निर्देश के अनुपालन में में **हरिवंशी द्वारिका कालेज ऑफ एजुकेशन, दुर्खशी, मरदह, गाजीपुर** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर** पर **कला संकाय** के अन्तर्गत **हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र** विषयों में **शैक्षिक सत्र 2014–15** का **परीक्षाफल शासनादेशानुसार 60** प्रतिशत से अधिक होने तथा **महाविद्यालय वर्ष 2014 व 2015 एवं 2016 में नकल में आरोपित** न होने, **प्राचार्य का अनुमोदन** पत्र, ए.आई.एस.एच.ई. के पंजीकरण प्रमाण निर्गत होने के **फलस्वरूप** महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित विषयों में **दिनांक– 01.07.2015 से सम्बद्धता (स्थायी)** प्रदान किया जाता है।

ह0/–
प्रो.(राजाराम यादव)
कुलपति

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक पू.वि.वि./सम्बद्धता/03– (एक)/2017/2344 दिनांक 4.8.17

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
4. उप कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय/अतिगोपनीय/स्टोर)।
5. सम्बन्धित पत्रावली।
6. **प्रबन्धक/प्राचार्य, हरिवंशी द्वारिका कालेज ऑफ एजुकेशन, दुर्खशी, मरदह, गाजीपुर** को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विषयो मे नियमानुसार/निर्धारित सीटो से अधिक प्रवेश नही लिया जायेगा।

कुलसचिव